



किरम मुकदमा:-वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

मु.नं.एवं सन 57 / 17

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
05.01. 2018	<p>वकील वादी श्री सुभाष बिश्नोई उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र को हिदायत पैरवी न होना जाहिर किया। वादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं है। वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी मे वाद-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी खजवाला (जिला-बीकानेर)</p> 	No Instruction 